राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 183/2023

अंजू कुमारी मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य–2 विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.01.2023
आदेश की दिनांक : 12.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर, दौसा किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी के पति ने अपीलार्थी के साथ मारपीट की तथा दहेज आदि की मांग की तथा अपीलार्थी के पुत्र को भी अपहरण करने की कोशिश की। उक्त अपराध के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपीलार्थी के पति के विरूद्ध महिला थाना जयपुर सिटी पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 199 दिनांक 27.09.2022 को दर्ज कराई, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है तथा अपीलार्थी के पति के विरूद्ध न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–9, जयपुर महानगर, प्रथम में धारा 12(1) घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत परिवाद दायर कर रखा है तथा पारिवारिक न्यायालय जयपुर महानगर, जयपुर में विवाह विच्छेद हेतु घोषणा का दावा कर रखा है। उक्त न्यायालयों में अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है तथा आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के पति नजदीकी गांव के पास ही पदस्थापन किया गया है जहां पर अपीलार्थी को जान–माल का खतरा है तथा स्थानान्तरित स्थान पर जाने से

अपीलार्थी के उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो सकेगी, जिससे अपीलार्थी के पति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। अपीलार्थी को जानबूझकर हैरान व परेशान करने के लिए उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफीसर के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है तथा अनुलग्नक–2, 3, 4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति के विरूद्ध महिला थाना में मुकदमा दर्ज करा रखा है तथा पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका तथा घरेलू हिंसा का परिवाद भी न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपीलार्थी का पुत्र भी जयपुर में अध्ययनरत है। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि तब तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व स्थान पर यथावत कार्यरत रखा जावे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य